वन भूमि अधिकार के संबंध में अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक / /2019

क्रमांक /241/ /अवि०अ० /रीडर–1/2019 भानुप्रतापपुर, दिनांक 05/07/2019

<><><>

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के कियान्वयन के तारतम्य में आज दिनांक 28/01/2019 को अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित किया गया। अनुभाग समिति के अध्यक्ष सुश्री प्रेमलता मंडावी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों की बैठक हुई। उक्त बैठक में निम्नानुसार माननीय सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर
2 मंडल संयोजक (आदिम जाति कल्याण विभाग) भानुप्रतापपुर
3 श्री रतीराम करंगा जनपद सदस्य पंचायत भानुप्रतापपुर (पुरूष सदस्य अ.ज.जा.)
4 श्रीमती बनीता सलाम जनपद सदस्य पंचायत भानुप्रतापपुर (महिला सदस्य अ.ज.जा.)
5 श्री पीलम नरेटी जनपद सदस्य पंचायत दुर्गूकोंदल (पुरूष सदस्य अ.ज.जा.)

वन विभाग की वन भूमि छोटे–बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि ग्रामों के कब्जाधारियों द्वारा वन भूमि अधिकार पत्र के लिये प्रस्तुत दावा आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायतो के समक्ष ग्राम पंचायतों के सचिव, वनरक्षकों एवं वन अधिकार समिति के सदस्यों से स्थल जॉच कराया गया तत्पश्चात सबंधित ग्रामसभा में व्यक्तिगत के 92 प्रकरण एवं सामुदायिक दावों के 81 प्रकरण, कुल 173 प्रकरण प्राप्त हुए। ग्रामसभा के प्रस्ताव पश्चात उपरोक्त प्रकरण अनुभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ। अनुभाग स्तरीय समिति में परीक्षण उपरान्त कुल 173 प्रकरण का रकबा 152.55 हे० जिसमें संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत आवेदन पत्रों के संबंध में पदेन सचिव, वनरक्षकों एवं वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया है। तथा वनरक्षकों द्वारा भी मानचित्र तैयार कर संलग्न किये गये है।

तद्नुसार आवेदन पत्रों उसमें लगे अभिलेखो को अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया गया कुल 173 प्रकरणों में से 84 प्रकरण पात्र पाया गया 89 प्रकरण (व्यक्तिगत एवं सामुदायिक) त्रुटि सुधार हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को वापस किया गया तथा 84 प्रकरण का रकबा 92.38 हे० व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य पाया गया।

Scanned by CamScanner

यूजर एजेंसी मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत लौह अयस्क खनिपट्टा के लिये पहुँच मार्ग एवं इलेक्ट्रिक लाईन के लिये कुल कक्ष क्रमांक 2 कुल रकबा 2.58 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति की जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामसभा में अनुमोदन पश्चात अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का जाँच किया गया। समिति द्वारा सर्व सम्मति से व्यपवर्तन हेतु सहमति दिया गया।

पूर्व में निरस्त कुल 4571 प्रकरणों का ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा पुनः जाँच परीक्षण कर ग्राम सभा में चर्चा किया गया। ग्राम सभा द्वारा 58 प्रकरणों को वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने योग्य पाया तथा कुल प्रकरण 4513 को निरस्त किया गया। ग्राम सभा के अनुमोदन पश्चात अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की जाँच की गई । समिति द्वारा कुल 57 प्रकरण रकबा 27.960 हेक्टेयर को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने योग्य पाया तथा कुल 01 प्रकरण रकबा 0.211 हेक्टेयर को त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया गया।

उपरोक्त प्रकरणों को संकलित कर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति कांकेर की ओर अंतिम विनिश्चयन के लिए अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाता है।

श्री रतीराम करंगा
सदस्य जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
भानुप्रतापपुर

श्रीमती बनीता सलाम
सदस्य जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर

अनुविभागीय अधिकारी (वन) (पूर्व)
भानुप्रतापपुर

श्री पीलाम नरेटी
सदस्य जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल

मंडल संयोजक
(आदिम जाति कल्याण विभाग)
भानुप्रतापपुर

Scanned by CamScanner

Annexure-I

Form I
(For Linear Project)
Government of Chhattisgarh
Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)

No. -----229---------- Date --11.05.2020------

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India`s letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **2.58** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Shri Bajrang power and ispat Limited, Kanker For Linear Projects In Uttar Bastar Kanker district** (purpose for diversion of forest land) falls within jurisdiction of **Hahaladdi** villages(S) in **Durgukondal** tehsils.

This further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.58** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.

(b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.

(K.L.Chouhan)
Collector
District Uttar Bastar Kanker (C.G.)